3

19.11.19 पत्रावली पेशकुर्द। प्रार्थी (अधिवक्ता अनुपस्थित)
प्रार्थी, अधिवक्ता द्वारा न्यायालय आदेशों की पालना नहीं करने (तलबाना पेश नहीं) पर कार्यवाही निषेधाज्ञा प्र.पत्र 09 R5 CPC में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल-शुमार, नम्बर तोरण है। निर्णय सुरे ईजलास सुनाया गया।

B

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2019.12.05 12:00:05 IST
Reason: SelfAttested